न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश.

हल्पताल तनय मोजी कुम्हार निवासी ग्राम बैसा खास तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

....निगरानीकर्ता

वनाम

म0प्र0शासन ....प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं01959एवं संशोधित अधिनियम 2012 अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के द्वारा पारित प्र0क्र021/स्व0निग0/2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2005 के विरूद्ध ।

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

यह कि भूमि खसरा क्रमांक 542,543,550 रकवा1.510हे0स्थित ग्राम बैसा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0में है जिसपर निगराकार वर्ष1984 के पूर्व से कब्जा किएचला आ रहा है और भूमिहीन होने के कारण उसे तहसीलदार तहसील बल्देवगढ़ द्वारा कृषि प्रयोजन के लिऐ उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामि अधिकारों का प्रदान किया जाना[विशेष उपबंध]अधिनियम 1984 के तहत भूमिस्वामी - अधिकार प्रदान किऐ गऐ थे तदनुसार तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्र0क्र0310/अ19[4]/95-96 में दिनांक 20.8.96को अधिकार प्रदान किऐ गऐ थे।जिसकी बिना कोई सूचना दिऐ अनु विभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़ द्वारा प्र0क्र056/बी-121/99-2000में दिनांक 25. 8.99को प्रतिवेदन किया और अपर कलेक्टर महोदय द्वारा आलोच्य प्रकरण सुनवाई में लिया गया। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 28.1.2005को तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.8.96निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज किऐ जाने का आदेश पारित किया।जिससे दुखित होकर यह निगरानी न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के मुख्य आधार निम्नलिखित है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2706–दो/2012 जिला–टीकमगढ़

सरूपलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 21/स्व.निग./2003–04 में पारित आदेश दिनांक 28–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	